कार्यालय नगर निगम, पंचकूला

Memo No-8772
Date-19/09/2016

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, पंचकूला की चार दुकानें जिनका साईज (18 फुट X 11 फुट बरामदा 8 फुट प्रति दुकान) है। गांव खटौली सरकारी स्कूल के पास जिला पंचकूला में है को 5 वर्ष की अवधि के लिये किराया/लाईसैन्स फीस पर देने के लिये दिनांक 06.10.2016 दोपहर 12:00 बजे मौका पर खुली बोली पर दिया जाना है। इसलिये दुकानों को किराया/लाईसैन्स फीस पर लेने का इच्छुक व्यक्ति दिनांक 06.10.2016 से पहले किसी भी कार्यदिवस को नगर निगम कार्यालय में 10,000 रूपयें जमा करवाकर खुली बोली में भाग ले सकता है। दुकानों की किराया/लाईसैन्स फीस की नियम व शर्तें मौका पर सुनाई जायेगी तथा यह नियम व शर्तें नगर निगम की बैवसाईट mcpkl.ulbhry.org पर भी उपलब्ध है।

कार्यकारी अधिकारी,
कृते: आयुक्त
नगर निगम, पंचकूला।

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर निगम, पंचकूला।

नियम व शर्ते

गांव खटौली जिला पंचकूला में नगर निगम पंचकूला की 4 दुकानों को खुली बोली पर किराये/लाईसैन्स फीस पर दिया जाना है। जिनकी नियम व शर्ते निम्नप्रकार से है:–

1. किरायेदार/लाईसैन्सी को बोली की तिथि के 10 दिन के अन्दर–2 नगर निगम के साथ नियम व शर्तो बारे इकरारनामा करना होगा। समय पर इकरारनामा न करने की सूरत में बोली को रद् समझा जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
2. यह किरायानामा/लाईसैन्सनामा केवल दुकान ग्रांउड फलोर किराये/लाईसैन्स फीस पर दिए जाने बारे है किरायेदार/लाईसैन्सी को किराये/लाईसैन्स फीस पर दी गई दुकान की छत का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करने का अधिकार न होगा। जबकि नगर निगम दुकान की छत पर किसी भी प्रकार के निर्माण व प्रयोग करने के लिए स्वंत्रत होगा इस पर किरायेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. किरायेदार/लाईसैन्सी की बोली देने से पहले जमा कराई गई धरोहर राशि 10000 /– रु बोली छूटने उपरान्त नगर निगम में नॉन रिफन्डेबल सिक्योरिटी के रुप में जमा हो जाएगी। यह राशि नगर निगम द्वारा लौटाई नही जाएगी और न ही इस राशि पर कोई ब्याज दिया जाएगा।
4. यह कि किरायादार/लाईसैन्सी को दुकान का किराया/लाईसैन्स फीस तथा सरकार द्वारा निर्धारित सर्विस टैक्स हर माह की 7 तारीख तक जमा करवाना होगा। समय पर जमा न करवाए जाने की सूरत में किरायादार/लाईसैन्सी से सरकार की हिदायत अनुसार जुर्माना लिया जाएगा।
5. किरायादार/लाईसैन्सी एक माह के अन्दर दुकान के किराये/लाईसैन्स फीस की अदायगी अगर नहीं करता तो नगर निगम को बिना कारण बताए दुकान खाली करवाने का अधिकार होगा।
6. किरायानामा/लाईसैन्सनामा 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा किराये/लाईसैन्स फीस में वृद्धि सरकार की हिदायत अनुसार समय–2 पर की जाएगी तथा 5 वर्ष बाद नगर निगम के साथ नया इकरारनामा किया जाएगा।
7. नगर निगम द्वारा किरायेदार/लाईसैन्सी को दुकान का कब्जा देने के 15 दिन के अन्दर–2 अपना कारोबार प्रारम्भ करना होगा।
8. किरायेदार/लाईसैन्सी न तो दुकान को किसी दूसरे के नाम सबलेट कर सकेगा और न ही किसी को साझेदार बना सकेगा।
9. किरायेदार/लाईसैन्सी नगर निगम की दुकान को बिना पूर्व अनुमति के कोई रद्दो बदल नहीं कर सकेगा।

Scanned by CamScanner

10. किरायेदार/लाईसैन्सी किराये पर दी गई दुकान के अतिरिक्त नगर निगम की भूमि का किसी प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
11. किरायेदार/लाईसैन्सी अपने खर्चे से बिजली की फिटिंग, पेंट/सफेदी करवाएगा।
12. नगर निगम का कोई भी अधिकारी दिन में किसी भी समय दुकान का निरिक्षण कर सकेगा। इससे किरायेदार/लाईसैन्सी को कोई एतराज नहीं होगा।
13. किरायेदार/लाईसैन्सी दुकान को ऐसे किसी भी उद्देश्य/व्यापार/कार्य के लिए उपयोग नहीं करेगा जो गैरकानूनी हो तथा सरकार/नगर निगम तथा जनता के हितो के विरुद्ध हो।
14. किरायेदार/लाईसैन्सी दुकान में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा नशीले पदार्थो को संग्रह नहीं करेगा।
15. किरायेनामा/लाईसैन्सनामा समाप्त होने के बाद किरायेदार/लाईसैन्सी दुकान का कब्जा खाली करके नगर निगम को देने का स्वंय जिम्मेवार होगा।
16. किरायेदार/लाईसैन्सी द्वारा उपरोक्त लिखित शर्तो में से किसी भी शर्त को तोडने पर या उसका पालन न करने पर नगर निगम 1 माह का नोटिस देकर दुकान को किरायेदार/लाईसैन्सी से खाली करवाने में सक्षम होगा।

कार्यकारी अधिकारी,
कृतेः आयुक्त
नगर निगम, पंचकूला।

Scanned by CamScanner